न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 12/2025 जीसीएमएस प्र0स0 – 2025/76 दायर दिनांक 02.04.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाम

प्रकाश चन्द्र पुत्र नन्दराम प्रजापत खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मै0 प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी धानमण्डी जैतसर
——अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/52

:: निर्णय :: दिनांकः–06.05.2026

1. यह परिवाद आवेदक श्री कंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/52 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्य सम्पादन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कंमांक संख्या स/एसएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.2011 के अनुसार खाद्यय सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉं प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया। श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर के आदेश क्रमाक संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर आवंटित किया गाय और श्रीगंगानगर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते है।
3. तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 29.03.2022 को समय दोपहर 02:00 बजे मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी जैतसर, श्री गंगानगर पर पहुँचे। मौके पर श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री नन्दराम प्रजापत (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय दे कर दुकान पर रखे मिक्स आचार (मिनाक्षी एग्रो) के बारे मे जानकारी चाही। इस पर प्रकाश चन्द्र ने स्वंय को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर एक रैंक में 900–900 ग्राम के 24 डिब्बे (जार) पैक मिक्स आचार (मिनाक्षी एग्रो) को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। इसी मिक्स आचार (मिनाक्षी एग्रो) मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जॉंच वास्ते मिक्स आचार (मिनाक्षी एग्रो) का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुये वयक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध मिक्स आचार (मिनाक्षी एग्रो) 900–900 ग्राम के 4 पैक डिब्बों को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा मिक्स आचार (मिनाक्षी एग्रो) का नगद भुगतान 520 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री प्रकाश चन्द्र एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री प्रकाश चन्द्र को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिक्स आचार (मिनाक्षी एग्रो) 900–900 ग्राम के चारों मूल पेक डिब्बों पर लैबल तैयार कर चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–1493 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–1493 नियमानुसार [illegible] गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर [illegible] चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री प्रकाश चन्द्र एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुरत पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना माग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक कमांक/एफएसएसए/2022/384–85 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ जो कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिर्पोट संख्या/एलएस/560/एक्ट/2022/560 दिनांक 18.04.2022 द्वारा मिसब्रांडेड फूड होना पाया गया है। श्रीमान आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण राजस्थान जयपुर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र कंमाक सामान्य/2023/17694–695 दिनांक 18.07.2023 द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमूनों के प्रकरणों की अभियोजन समय सीमा बढ़ाने एवं माननीय न्यायालय में केस लगाने की स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदित किया गया। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता./खा.सु.औ.नि./स.सी./2023/3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह ने श्रीमान अभिहित अधिकारी गंगानगर को दिनांक 03.10.2023 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र कमांक–1408–09 दिनांक 05.10.2023 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री नन्दराम प्रजापत (विक्रेता व मालिक) मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी जैतसर, श्री गंगानगर ने खाद्य पदार्थ मिक्स आचार (मिनाक्षी एग्रो), मिसब्रांडेड फूड का विक्रय करके एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26(2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा–52 में निर्धारित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जायें, ताकि जनहित में अमानक स्तर (मिथ्याछाप) के खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय रोका जा सके।

4. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई हाजिर आये। अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त सैम्पल की कथित कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई है जो नियमानुसार नही की गई है तथा सैम्पल लेने की फर्द मे किसी भी स्वतंत्र साक्षी को मौका पर नही बुलाया गया। फार्म सं–5ए मौका पर तैयार नही किया गया है तथा ना ही फार्म सं–5ए मौका पर पढ कर सुनाया गया है। ना ही इस कार्यवाही के संबंध मे मौका पर किसी स्वतंत्र साक्षी को बुलाया गया है। सैम्पल लिऐ जाने से लेकर जांच तक भिजवाऐ जाने की समस्त कार्यवाही स्वच्छ पारदर्शी व बिना छेड़छाड़ की गई हो। ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। अप्रार्थी की दुकान पर किसी प्रकार का सबस्टेण्डर्ड फुड होना नही पाया गया। परिवादी द्वारा समस्त कार्यवाही मनमर्जी से की गई है। अपने ही विभाग द्वारा अपने अधिकारीयो से मिलीभगत गलत तथ्यो पर अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही की गई है। अपने ही विभाग द्वारा अपने अधिकारीयो से मिलीभगत गलत तथ्यो पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई है। ऐसी स्थिति मे परिवाद पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

5. हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या/एलएस/560/एक्ट/2022/560 दिनांक 18.04.2022 में उक्त नमूना MIsbranded food पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा MIsbranded food का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र नन्दराम प्रजापत खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मै0 प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी धानमण्डी जैतसर को राशि 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बबल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner